कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**M/s L'Oreal India Pvt. Ltd., B-11 /1, Site-3, Meerut Road, Industrial Area, Ghaziabad.**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**032 / 14, 30.05.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री सुनील गोयल, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

M/s L'Oreal India Pvt. Ltd., B-11 /1, Site-3, Meerut Road, Industrial Area, Ghaziabad. द्वारा दिनांक 30.05.2014 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा Colossal Kajal एवं Magique Kajal पर, वैट अधिनियम के अन्तर्गत कर की दर जाननी चाही गयी है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री सुनील गोयल, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि प्रार्थी एक मल्टीनेशनल कम्पनी है। इनके द्वारा सौन्दर्य प्रसाधन का निर्माण व बिक्री किया जाता है। Colossal Kajal व Magique Kajal वस्तुत: पेन्सिल के रूप में ऑखों में लगाया जाने वाला काजल है। Colossal एवं Magique शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। इससे काजल के गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा-36 के अन्तर्गत प्रार्थी के ही मामले में पारित आदेश दिनांक 26.05.2014 की प्रति प्रस्तुत की गयी जिसमें Colossal Kajal को काजल की श्रेणी में मानते हुए करमुक्त घोषित किया गया है। प्रार्थी द्वारा Colossal Kajal तथा Magique Kajal को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-23 पर अंकित प्रविष्टि में वर्णित '' Kajal '' मानते हुए करमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल भी प्रस्तुत किया गया।

3.. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा पत्र संख्या-1190, दिनांक 23.08.2014 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि कम्पनी द्वारा विक्रय किये जाने वाले इस उत्पाद का प्रयोग उपभोक्ताओं द्वारा ऑखों की सुन्दरता बढ़ाने एवं उन्हें स्वस्थ रखने हेतु किया जाता है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I के क्रमांक-23 पर अंकित प्रविष्टि में केवल '' Kajal '' शब्द का उल्लेख है जबकि करदाता का उत्पाद Colossal Kajal एवं Kajal Magique है जिसका उल्लेख उक्त प्रविष्टि में नहीं है। Colossal Kajal का उल्लेख अनुसूची-II एवं III में भी नहीं है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा जिन उत्पादों के सम्बन्ध में कर की दर पूछी गयी है वह स्त्रियों के सौन्दर्य प्रसाधन के रूप में प्रयोग होने वाला काजल है जो पेन्सिल स्टिक के रूप में विक्रय किया जाता है। उक्त काजल के पैकेट पर olive oil, Vitamin E, Vitamin C के Derivative and Conditioning एजेन्ट मिलाया जाना अंकित किया गया है। उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I

....2

की प्रविष्टि संख्या-23 निम्नवत है :-

Kumkum, Bindi, Alta & Sindur, roli, mahawar, mehndi leaves and its powder, **kajal**, surma, hairpins, hairband, hair clip, (other than that of precious metal), rubber band, safety pin , chutila, bichhia and rakhi ; Moonga or moti made of glass

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं सैम्पल के आधार पर Colossal Kajal एवं Magique Kajal दोनों उत्पाद काजल की ही श्रेणी में हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑयल, विटामिन एवं ऑखों के स्वास्थ्य के लिए अन्य उपयोगी तत्व मिलाये गये हैं, किन्तु इन तत्वों के मिलाने से काजल के मूल स्वरूप एवं उपयोगिता में कोई परिवर्तन नहीं आया है तथा यह स्त्रियों द्वारा प्रसाधन के रूप में ऑखों में प्रयोग किया जाता है । अत: उक्त दोनों उत्पाद उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-23 पर अंकित काजल के अन्तर्गत करमुक्त होना चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन-प्रथम, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । तथा प्रस्तुत सैम्पल का अवलोकन किया गया । पाया गया कि Colossal Kajal एवं Magique Kajal वस्तुत: पेन्सिल स्टिक के रूप में ऑखों में प्रयोग करने वाला काजल ही है । Colossal एवं Magique विशेषण लगाने मात्र से वस्तु के स्वरूप एवं गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा राजस्थान वैट अधिनियम, 2003 की धारा-36 के अन्तर्गत दिनांक 26.05.2014 को आदेश पारित किया गया है जिसमें प्रार्थी के ही मामले में Colossal Kajal को काजल की श्रेणी में मानते हुए करमुक्त घोषित किया गया है । अत: कम्पनी द्वारा बिक्रीत '' Colossal Kajal एवं Magique Kajal उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची--I की प्रविष्टि संख्या-23 पर अंकित ' काजल ' से आच्छादित होने के कारण करमुक्त होगा ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 19 सितम्बर, 2014

ह0 / 19.09.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।